IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

व्यक्तिगत विभिन्नताएँ – सामाजिक रूप से वंचित बालक

डॉ. सुशीला कुमारी

सहायक आचार्या (शिक्षा शास्त्र विभाग)

श्रीमती गोमती देवी टी.टी. कॉलेज, बड़ागांव, झुंझुनू (राजस्थान)

लेख सार : –

अपने आस पास हम सभी लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी रूप में भिन्न होते है इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान होते हुए भी उससे भिन्न होता है। शारीरिक आकृति की दृष्टि से तो कभी मंदबुद्धि से या फिर सामाजिक रूप से वंचित। एक शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना समझता है, वह उसका सम्मान करता है। यह विषय बहुत ही उद्देश्य पूर्ण प्रकरण के रूप में लिया गया है क्योंकि सामाजिक रूप से वंचित बालक मानसिक दृष्टि से वंचित, शारीरिक दृष्टि से वंचित एवं शैक्षिक दृष्टि से वंचित बालक–बालकों को सामाजिक रूप से वंचित बालक कहा गया है।

जेम्स ड्रेवर के अनुसार – *"कोई भी दो व्यक्तियों के परस्पर एक सा ना होना ही व्यक्तिगत विभिन्न है द्य व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य समूह के सदस्यों में सामान्य रूप से हटकर पाए जाने वाली व्यक्तिगत, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं से है।"*

मुख्य लेख शब्द :– व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, वंचित बालक, मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक इत्यादी।

प्रस्तावना : –

व्यक्तित्व का विकास वंशक्रम एवं वातावरण की उपज होता है। व्यक्ति की प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास भी वातावरण से होता है जिसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बालकों के विकास की दशा, दिशा और गति को निर्धारित करने वाला मुख्य घटक वातावरण है। अपने आस पास के वातावरण को यदि गौर से देखें तो पता चलता है कि कुछ बालकों को अपनी योग्यताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुए, जिसके फलस्वरूप वे सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़ गए। प्रायः सभी समाजों में हमें ऐसे बालकों या समूह की जानकारी मिलती है। इन वर्गों के बालकों को शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास विकास के अवसर नहीं मिल पाए। बहुत बार सामाजिक रूप से वंचित समूहों के समेकित व्यवस्था में प्रारम्भिक अवस्था में स्थान दिया गया, परन्तु

भेदभाव, उपेक्षा, निर्धनता, जाति के कारण पीछे धकेल दिया गया। आज यह समय की मांग है कि इन बालकों की और ध्यान दिया गया।

सामाजिक रूप से वंचित जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचान कर 1960 के मध्य में रीसमैन एवं हैविंगर्स्ट ने इस समूह की विशेषताओं को परिभाषित किया गया है।

रीसमैन के अनुसार – *"सांस्कृतिक रूप से वंचित, शैक्षिक दृष्टि से वंचित, असुविधा निम्न वर्ग एवं निम्न सामाजिक, आर्थिक समूह जैसे शब्दों का प्रयोग एक–दूसरे के लिए किया जाता रहा है।"*

यह इनकी पुस्तक 'द कल्चरली डीप्राइव्द चाइल्ड' में प्रदर्शित होता है। इन बालकों में कुछ शक्तियाँ भी होती है, केवल मात्र कमियाँ ही नहीं होती। इनके अनुसार वंचित बालक निम्न क्षेत्रों में सुविधा प्राप्त वर्गों के बालकों से भिन्न पाए जाये हैं –

1. स्वप्रत्यय
2. अभिप्रेरणा
3. सामाजिक व्यवहार
4. भाषा
5. बौद्धिक प्रकार्यात्मकता
6. शारीरिक योग्यता एवं आरोग्यता

गार्डन के अनुसार – *"वंचन, बाल्यावस्था की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है।"*

वंचित वर्ग के बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है जो समुदाय के सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए है एवं विद्यालय व्यवस्था से वंचना के फलस्वरूप लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इन बालकों में दूरदराज के जातीय, जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी सम्मलित है जिन्हें बड़े नगरों के समान शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है।

दूसरे शब्दों में – वंचित वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभव उद्दीपक नहीं मिलते, जिसके फलस्वरूप ऐसे बालकों का वंचित विकास नहीं हो पाता है।

सामाजिक रूप से वंचित बालकों की विशेषताएं : –

1. संज्ञानात्मक विशेषताएं
2. व्यवहार जनक विशेषताएं
3. व्यक्तित्वपरक विशेषताएं
4. सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं
5. परिवेश जनक विशेषताएं

सामाजिक रूप से वंचित बालकों की पहचान :–

सामाजिक रूप से वंचित बालकों की पहचान के लिए निम्न विधियों व परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है –

1. वंचना देशनांक – वंचना देशनांक को व्हाईट मैन एवं डैश ने 1968 में अमेरिका में विकसित किया। इसका उपयुक्त अनुकूलन कर भारत में प्रयोग में लाया जा सकता है।

2. सांस्कृतिक वंचना देशनांक – सांस्कृतिक वंचना देशनांक रूप एवं सामंत ने 1975 में विकसित किया।

3. दीर्घावधिक वंचना देशनांक – इस देशनांक का विकास मिश्रा एवं त्रिपाठी ने 1977 में किया। इस देशनांक में वंचना को 15 क्षेत्रों यथा – घर की दशाएं, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक पर्याप्तता, भोजन एवं पोषाहार, वस्त्र, शैक्षिक अनुभव, बाल्यावस्था अनुभव, माता–पिता के साथ अंतःक्रिया, अभिप्रेरणा, भावात्मक अनुभव, यात्रा एवं भ्रमण, सामाजिक–सांस्कृतिक अनुभव, माता–पिता की विशेषताएं, विकासात्मक अनुभव व अन्य को सम्मलित किया गया है।

4. व्यक्तित्व परीक्षण।

5. रूचि परीक्षण।

6. अभिवृति एवं अभियोग्यता परीक्षण।

7. सामाजिक वंचना वाले बालकों की व्यवहार गत विशेषताओं का निरीक्षण।

हस्तक्षेपण (Interventions) :–

क्या ये बालक प्रारम्भिक निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि के उपरान्त ऊपर उठ सकते हैं ? निश्चित रूप में ये बालक सामान्य बालकों के समकक्ष आ सकते हैं । परन्तु उस परिवर्तन के लिए निम्न उपाय का हस्तक्षेपण आवश्यक हैं –

1. समेकित विद्यालय (Intergrated school) :–

क्रेअन एवं वाइसमैन (Craen & Wiseman) अपने अध्ययन के उपरान्त निम्न निष्कर्षों पर पहुँचे –

- समेकित विद्यालयों के बालक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कर कॉलेज शिक्षा में प्रवेश किया।
- विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के सन्दर्भ में समेकित माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं पृथक प्रारम्भिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में कोई अन्तर नहीं पाया गया।
- समेकित विद्यालयों का प्रभाव छात्र एवं छात्राओं पर अधिक पाया गया।
- समेकित विद्यालयों के बालकों की भाषायी योग्यता अपेक्षाकृत पृथक विद्यालयों से अधिक पाई गई।
- समेकित विद्यालयों में अल्पसंख्यक या वंचित वर्ग के बालकों पर इस बारे किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों पर दबाव नहीं बनाया।

कोलमैन (Coleman) ने भी अपने अध्ययनों में पाया कि समेकित विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपलब्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

इन अध्ययनों के आधार पर कहा जा सकता है कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में अन्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। वंचित वर्ग के बालकों को अन्य बालकों के साथ समेकित किया जाना चाहिए।

प्रो. पाण्डा (Pand) ने निम्न सुझाव दिये हैं :–

(i) अध्यापक प्रशिक्षण पाठयक्रम में संशोधन

(ii) वंचित वर्ग के बालकों को जीवन शैली में परिवर्तन

(iii) त्वरित अधिगम कार्यक्रम

(iv) कक्षा के सामाजिक–भावात्मक वातावरण में परिवर्तन

(v) शिक्षा के उद्देश्यों का जीवन से जुड़ाव

(vi) अभिभावकों की शिक्षा

(vii) भाषा संवर्धन कार्यक्रम

(viii) वंचित वर्ग के बालकों के शिक्षण के प्रति मानवीय उपागम

(ix) साहित्य के प्रति संवेदना

(x) भूमिका निर्वहन, समूह सम्पर्क व विभिन्न समस्याओं को लेकर वैयक्तिक सम्मेलन

(xi) अनुदेशन कार्यक्रमों बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के अनुरूप

(xii) अध्यापकों के भेदभाव पूर्ण अभिवृत्तियों व पूर्वाग्रहों से मुक्ति

(xiii) प्रारम्भिक सफलता प्रदान करना जिससे कि अभिप्रेरणा बनी रहे

(xiv) वांछित व्यवहार का अनुकरण

(xv) अधिगम सामग्री को प्रतिमाओं व सहायक सामग्री के द्वारा प्रस्तुतीकरण

(xvi) पर्याप्त अभ्यास कार्य

2. अध्यापक की भूमिका (The role of a teacher):–

सामाजिक रूप से वंचित बालकों की शिक्षा हेतु अनुदेशनात्मक उद्देश्यों व प्रारम्भिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के सुझाव दिये हैं। वंचित वर्ग के बालकों एवं अन्य बालकों के सीखने में भिन्नता नहीं है। सामान्य बालकों के अधिगम की प्रक्रिया में जिन सिद्धान्तों को अनुप्रयुक्त किया जाता है, उन्हीं को वंचित बालकों की शिक्षा में प्रयुक्त किया जाता है। केवल अन्तर सीखने की गति, विषयवस्तु व क्रम में अन्तर पाया जाता है। अतः कुछ दिशा–निर्देशों की आवश्यकता है, जो निम्न है –

1. इन बालकों के लिए अनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए तीनों समेकित उद्देश्यो ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक को प्राप्त करने के लिए एक समय में प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

2. ये बालक संज्ञानात्मक न्यूनता से ग्रस्त होते हैं, अतः उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक घण्टे का अलग से प्रावधान रखा जाना चाहिए। इस एक घण्टे में आना प्रत्यय, आकांक्षा स्तर, आवश्यकता अभिप्रेरणा व उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने के प्रयास भी किये जाने चाहिए।

3. प्रत्ययों एवं विचारों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व श्रेणीकरण किया जाना चाहिए। प्रत्यय निर्माण में मूर्त एवं जीवन से जुड़ी परिस्थितियों को प्रयुक्त करना चाहिए। अनुदेशनात्मक कार्यक्रम में विश्लेषणात्मक चिन्तन का प्रशिक्षण देना चाहिए।

4. प्रगति का निरन्तर आकलन व मापन को व्यापक रूप से करके पृष्ठ पोषण दिया जाना चाहिए। पृष्ठ पोषण प्रत्येक शिक्षण कार्य का अभिन्न अंग होना चाहिए व आगे की शिक्षण योजना उस पर आधारित होनी चाहिए।

5. वंचित बालकों को उत्तरदायित्व, प्रत्यक्ष लाभ व पुरस्कार, सकारात्मक भावात्मक पुनर्बलन एवं प्रोत्साहनों को दिया जाना चाहिए। विद्यालयी कार्यक्रम में भावात्मक अन्तक्रिया को सहायक के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. स्व–अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. अनुसूचित जनजातियों के लिए पाठ्यक्रम उनके जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने वाला होना चाहिए।

विद्यालयों व सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को वंचित बालकों के सामाजिक – मनोवैज्ञानिक गत्यात्मकता के अभिप्रेतों को जानकर समझ कर इसे व्यवस्था में क्रियान्वित करना होगा। प्रशासकों को व अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाठयक्रम व अनुदेशन के नियोजन में भी स्थान देना होगा। कोई एक उपाय इस जटिल समस्या के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इन बालकों की छिपी सम्भावित क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षण व पाठ्यक्रम में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना होगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि शिक्षाशास्त्री ही केवल वंचना के नकारात्मक प्रभावों को सकारात्मक प्रभाव में नहीं बदल सकते। शिक्षा की योजना द्वारा वर्षों से वंचित न्यूनताओं व ऋणात्मक प्रभावों को दूर करने को ''Broomstic Effect'' कहा जाता है जिसका अभिप्राय है शैक्षिक प्रयास नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में झाड़ू लगाकर कुछ समय या सीमा तक दूर करते है ।

सार रूप में कहा जा सकता है शिक्षा–शास्त्र की महत्त्वपूर्ण समस्या इन बालकों के दोष पूर्ण अधिगम प्रकार्यात्मकता व अधिगम तन्त्र को समझ कर भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमियों, अवसरों एवं सामाजिक–बौद्धिक प्रकार्यों वाली विषम जनसंख्या के अनुकूलतम विकास में प्रयुक्त करना है।

बहुत सा साहित्य बालकों को वंचना से मुक्त करने पर उपलब्ध है। **बिने एवं मोण्टेसरी** (Binet & Montesseri) ने इस विषय पर बहुत कार्य किया है। शोध अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि वंचना को दूर करने के लिए भावात्मक एवं अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अधिगम के लिए उपयुक्त भावात्मक वातावरण आवश्यक है और वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए तो यह

सटीक है। **जिगलर** (Ziegler) ने परिवर्तन के लिए भावात्मक वातावरण में अभिप्रेरणा व कार्य संलग्नता को महत्त्वपूर्ण माना है।

संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की अपेक्षा भावात्मक प्रक्रियाओं में अधिक फेर बदल संभव है। सामाजिक पुनर्बलन, ध्यान, सहमति प्रारम्भिक सफलता के आधार पर सकरात्मक अपेक्षा निर्माण, विस्तृत टिप्पणियाँ, सकारात्मक अ–शाब्दिक पुनर्बलन एवं प्रशंसा संज्ञानात्मक उपलब्धि को बेहतर बना सकती है।

प्रायः विद्यालय में साहित्यक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बालक भाग नहीं लेते। उनमे हीन भावना के साथ–साथ सामर्थ्य का अभाव होता है। शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से वंचित बालकों में मानवीय गुणों व उचित दृष्टिकोणों में विकास के साथ–साथ अयोग्यताओं को दूर करने में सहायता मिलती है। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मानवीकरण व अध्यापक के व्यवहार में मित्रता इन बालकों को वंचना से दूर ले जाने में सहायक होगी।

3. शैक्षिक निर्देशन की भूमिका (The role of education guidance):–

शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तन को लाना है जो अन्ततः विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करता है। सभी शिक्षाविद भी इसके लिए चिन्ता व्यक्त करते हैं। वंचित वर्ग के बालक कच्ची बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता रूपी वंचना को तभी कम कर पायेंगे जबकि विद्यालय से जुड़े व्यक्ति उनकी प्रभावशाली ढंग से सहायता करते हैं। शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से वैयक्तिक पोषण किया जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन सेवाओं का संगठन व विस्तार व्यक्ति के वातावरण व विद्यालय के वातावरण या पारिस्थितिकी की सराहना द्वारा सम्भव है।

ग्रामीण क्षेत्र के वंचित बालक दूरदराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य, सामाजिक एवं अनुरंजनात्मक क्रियाओं के अवसर उपलब्ध नहीं होते। विभिन्न व्यवसायिक जीवन शैलियों से परिचय के अभाव में वे अपने भविष्य को परिवर्तित करने में असमर्थ रहते हैं। ग्रामीण सामुदायिक जीवन उन्हें व्यवहार के नवीन तरीके जो कि नगरीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है, को सीखने में बाधा डालते हैं। निर्देशन व परामर्श सेवा से जुड़े व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे वंचित वर्ग के बालकों को जीवन के विकल्पों पर बेहतर नियन्त्रण में प्राप्त करने में सहायता करें। अतः प्रत्येक विद्यालय में वैयक्तिक सेवायें (Personnel Services) अत्यन्त आवश्यक है। अध्यापकों व परामर्शकों में असहाय निराशावादिता इतनी अधिक है कि विद्यार्थियों में परिवर्तन से पहले उन्हें स्वयं में परिवर्तन लाना होगा।

एक परामर्शक विद्यार्थियों की स्व–पहचान में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। यदि वह विद्यार्थियों में इस भावना को जन्म दे सके कि वे स्वयं अपने भाग्य नियामक हैं। इसे ही बौद्धिक निष्पादन उत्तरदायित्व (Intellectual Achievement Responsibility) कहा जाता है।

परामर्शक सेवाओं का विस्तार अभिभावक परामर्श व सामुदायिक संसाधन क्लब तक किया जाना चाहिए। निर्देशन को सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाये व जिसे विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए उपयोगी व सार्थक माने।

सामाजिक रूप से वंचित बालक उन बालकों का समूह है जिनकी कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकतायें होती हैं। ये बालक शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से संचयी न्यूनता, विद्यालय शिक्षा बीच में छोड़कर जाने वाले वाचक एवं अधिगम नियोग्यताओं जैसी विशेषता लिए होते हैं। सामान्य रूप से इन्हें विकलांग नहीं कहा जाता, परन्तु इन बालकों को सामाजिक, सांस्कृतिक विकलांगता की श्रेणी में वर्गीकत किया जाता है। ये बालक दमन एवं किसी न किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहे हैं। अपवंचित बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति एक नया शैक्षिक उपागम है। असन्तोषजनक वातावरण, वयस्कों के साथ शाब्दिक अन्तक्रिया का अभाव, अनुभवों का अभाव, निर्धनता, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, कुपोषण, विघटित परिवार आदि सामाजिक सांस्कृतिक वंचना के प्रमुख कारण हैं।

सामाजिक वंचना के मापन हेतु वंचना देशनांक, सांस्कृतिक वंचना देशनांक दीर्घ–कालिक वंचना देशनांक एवं निरीक्षणीय व्यवहार का प्रयोग किया जाता है ।

विशेषताओं की दृष्टि से ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सभी क्षेत्रों में न्यूनता लिए हुए होते हैं। परन्तु यह न्यूनतायें आनुवांशिक न होकर पर्यावरणीय होते हैं। 'शिक्षा सबके लिए' की प्राप्ति हेतु वंचित बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान देना एक प्राथमिक कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बालकों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।

वंचित बालक मुख्य धारा में अथवा परिवार में उनकी समुचित देखभाल से वंचित हैं। अनुसूचित जाति, जन–जाति के बालक इसका अपवाद हैं,क्योंकि उनमें से कुछ बालक आश्रम विद्यालय एवं कन्या आश्रम विद्यालयों में शैक्षिक सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं। इन बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधानों में पूर्व विद्यालयी शिक्षा, विद्यालय तत्परता कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, हस्तक्षेपण, उपचारात्मक अनुदेशन, पाठ्यक्रम अनुकूलन, अभिप्रेरणा, निर्देशन परामर्श सेवाओं का आयोजन किया जा रहा है।

इन बालकों से प्रभावी रूप में तालमेल बैठाने के लिए प्रशिक्षण के साथ–साथ उनके मस्तिष्क से वंचित वर्ग जैसे–धब्बे को हटाने की आवश्यकता है। अध्यापकों को मानवतावादी दर्शन पर आधारित शिक्षण युक्तियों, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पाठयक्रम, स्वानुदेशन सामग्री आदि के प्रयोग से वंचित बालकों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। शैक्षिक, निर्देशन जैसे द्वैत्तियक उपायों को लागू करने में अभी समय लगेगा।

सन्दर्भ :–

1. सदरलैंड, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, न्यू यॉर्क : जे.वी. लिपिन एंड कंपनी, 1960.

2. डैरो, सी., क्राइम इट्स काजेज एंड पनिश्मेंट, न्यू यॉर्कः क्रोवेल, 1934.

3. तिवारी, डॉ. संजय, व्यवहारिक मनोविज्ञान, आई.एस.बी.एन.–978–93–83964 – 11–6, अर्चना पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2015.

4. लेविस, ऑस्कर, द कल्चर ऑफ पावर्टी, न्यू यॉर्क :बेसिक बुक्स, 1979.

5. लेविस, ऑस्कर, द चिल्ड्रेन ऑफ सेन्चेज, न्यू यॉर्क : रैंडम हाउस, 1961.

6. टैफ्ट, डी.आर., क्रिमिनोलॉजी, न्यू यॉर्क : द मैकमिलन एंड कंपनी, 1959.

7. बेकारिया, सी., ऐसे ऑन क्राइम एंड पनिश्मेंट, न्यू यॉर्क : स्टीफेन गोल्ड, 1954.

8. क्लिनार्ड, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएन्ट बिहैवियर, न्यू यॉर्क :होल्ट रेनेहाल्ट एंड विन्स्टन, 1963.

9. गोडार्ड, हेनरी एच., जुवेनाइल डेलिन्क्वेंसी, न्यू यॉर्क : डॉड मीन एंड कं., 1921.

10. बर्ट, रोनाल्डो एस, स्ट्रक्चरल होल्स : दी सोशल स्ट्रक्चरल ऑफ कम्पटीशन, आई.एस.बी.एन 978–0–674–84371–4, हारवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1992.

11. लाम्ब्रोसो, सीजर, क्राइम इट्स काजेज एंड रेमेडीज, बोस्टनः लिटिल ब्राउन पब्लिकेशन, 1911.